15.5.2024 पत्रावली पेश हुई। उभय वकील पक्षकार उपस्थित। वकील प्रार्थी ने निवेदन किया किया कि अप्रार्थीगण को जरीये अस्थाई निषेधाज्ञा इस बात के लिए पाबंद किये जावे कि प्रार्थीगण की संयुक्त कब्जे काश्त की भूमि ग्राम अम्बाड़ा में खाता सं. 54, ख. नं. 66, 67, 69, 70, 81, 88 खेत किता 6 कुल रकबा 13.06 बीघा, खाता सं. 4 खसरा नं. 160, 161 खेत किता 2 कुल रकबा 6.08 बीघा खाता सं. 50, खसरा सं. 163, खेत किता 1 कुल रकबा 2.02 बीघा, मौजा रणघाटीया खाता सं. 87, ख. सं. 546/2, 548/1 खेत किता 2, कुल रकबा 0:18 बीघा होकर स्थित है। ऐसे में अप्रार्थीगण को पाबंद किया जावे कि अग्रिम रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाए रखें।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। उभयपक्ष वकील की बहस सुनी गयी। वादग्रस्त आराजी प्रार्थीगण की संयुक्त आराजी है। ऐसे में अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना आवश्यक है। क्योंकि प्रथम दृष्टया मामला सुविधा एवं संतुलन की दृष्टि का है। ऐसे में रिकॉर्ड व मौके की स्थिति में परिवर्तन किए जाने पर वाद बहुलता बढ़ेगी। तथा प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी।

अतः अप्रार्थीगण को इस बात के लिए पाबंद किया जाता है कि मौजा अम्बाउ एवं रणभाटीया में प्रार्थीगण की संयुक्त कब्जे काश्त की आराजी भूमि में अप्रार्थीगण किसी प्रकार का काश्त, अतिक्रमण, निर्माण, अवरोध पैदा नहीं करें न अन्य किसी व्यक्ति से करवाएं। ऐसे में रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाए रखें।

पत्रावली में मूल वाद के निस्तारण तक अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है।

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा